संख्या– 145 /VI-2/2011–2(14)2006

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2

देहरादून दिनांक : 12 मार्च 2011

विषय :– मिनी स्टेडियम क्वानू जनपद देहरादून के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–324/दो–2041/2010–11 दिनांक–31–5–2010 तथा पत्र संख्या –1477/दो–20–41/2010–11 दिनांक–4–12–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि, उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–29/VI-I/2006, दिनांक–15–3–2007 के द्वारा संस्तुत/निर्गत वित्तीय स्वीकृति रू0 43.78 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 30.00 लाख के उपरान्त अवशेष बची धनराशि रू0 13.78 लाख को आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i) उक्त मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य चूंकि पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका है। अतः मिनी स्टेडियमों के निर्माण के सम्बन्ध में निर्धारित नवीनतम मानक के अनुसार उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जायेगी, तथा प्रारम्भिक लागत में ही संस्तुत आगणन के सभी कार्य पूर्ण किए जायेंगे, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग का होगा। किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

ii) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर कर लिया जाय, जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक है।

iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय, तथा संस्तुत लागत में ही कार्य पूर्ण कराया जायेगा

iv) जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा हो, यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति

प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किए गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

v) उक्त कार्य अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत 4202–शिक्षा खेलकूद कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा–01–02–खेलकूद स्टेडियम–04–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–24 वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–189 (पी) /XXVII(3)/2011 दिनांक–08 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(विजय कुमार ढ़ौडियाल)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 145 /VI-I/2011–2 (14)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव